



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240890  
CG-DL-E-08122022-240890

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5479]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944

No. 5479]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5715(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज (3)
रारा-48	थंडावलम-मन्नूर-थोडुकाडू-सेंगाडू-उलुंदई-हुसैन नगरम खंड (रारा-48 का स्पर) (तमिलनाडु राज्य में)	15.00 किमी.

[फा. सं. एनएच-14013/10/2022-पी ऐंड एम (पार्ट2)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2022

**S.O. 5715(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

**TABLE**

<b>National Highways No.</b>	<b>Section of National Highways</b>	<b>Chainage</b>
(1)	(2)	(3)
NH-48	Thandavalam -Mannur – Thodukadu- Sengadu-Ulundai- Hussain Nagaram section (Spur of NH-48)  (In the State of Tamil Nadu)	15.00 Km.

[F. No. NH-14013/10/2022-P&amp;M(Pt.2)]

RAJESH GUPTA, Director